<u>न्यायालय</u>— शरद जोशी, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला</u> बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 256 / 2018 आर.सी.टी. कं. 242 / 18 संस्थापन दिनांक—18.05.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरूद्ध

भागीरथ पिता राजाराम उम्र 32 साल, निवासी पिपरी डेब थाना व तहसील राजपुर, जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय// (आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त भागीरथ पिता राजाराम के विरुद्ध भादिवि० की धारा— 279, 337 के अंतर्गत दिनांक 28.12.2017 को समय 11:00 बजे बजे थाना चौपाटी ठीकरी पहुंचा तो वाहन द्रक कं. एम.एच. 18 ए.सी. 1122 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत् राहुल को टक्कर मार कर उपहित कारित करने का आरोप है।
- 02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।
- 03— प्रकरण में अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि,दिनांक 28.12. 2017 को लगभग 11.00 बजे फरियादी/आहत राहुल अपनी आई 20 स्पोटर्स कार कं. एम.पी. 46 सी 1798 को लेकर ठीकरी से सनावद जा रहा था कि, रास्ते में चौपाटी ठीकरी में आते समय पीछे से एक द्रक कमांक एम.एच. 18 ए.सी. 1122 के चालक ने अपनी द्रक को उसके पीछे से तेज गति व लापरवाही पूर्वक द्रक चलाकर लाया और उसकी कारको पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसे दाहिने हाथ की हथेली में चोट लगी है तथा उक्त कार को टक्कर लगने से कार दाहिनी तरफ क्षतिग्रस्त हो गई है।

ानरतर	

जिससे उसे करीबन 1,50,000 / — रूपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। उक्त घटना ऋषि कुमार वर्मा निवासी आनंद बैडी ठीकरी आदि ने देखी है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर आकर आरोपी भागीरथ पिता राजाराम के विरूद्ध थाने के अप0 क0 0361 / 18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफतार न किये जाने की दशा में आरोपी को नोटिस दिया गया तथा उसकी सूचना न्यायालय में प्रेषित की है। वाहन को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। वाहन मालिक को धारा 133 मो. वि.एक्ट का सूचना पत्र दिया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना उपरांत आरोपी भागीरथ पिता राजाराम के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी भागीरथ पिता राजाराम ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को वाहन द्रक कं. एम.एच. 18 ए.सी. 1122 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत् राहुल को टक्कर मार कर उपहित कारित करना स्वीकार किया है। अतः स्वैच्छयापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को भा.द.सं की धारा 279, 337 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 279 एवं 337 के आरोप में क्रमशः 1000 / — रू एवं 500 / — रू के अर्थदण्ड से एवं न्यायालय उठने की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमशः 07 एवं 03 दिवस का प्रथक प्रथक कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुदा वाहन द्रक कं. एम.एच. 18 ए.सी. 1122 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी मसूंर पिता अल्लाहबख्श जाति मुसलमान निवासी 13 सरस्वती कालोनी शिरपुर जिला धुलिया महाराष्ट्र को सुपुर्दगी पर दिया गया है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

आप.प्र.क. 266 / 2018 //3// आर.सी.टी.कं. 242/18 संस्थापन दिनांक 18.05.2018

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

सही/-

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0

मेरे निर्देशन व बोलने पर टंकित किया गया।

सही / –

(शरद जोशी) न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी अंजड जिला बडवानी म0प्र0